रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112026-278042
CG-DL-E-19112026-278042

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6042] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2026/कार्तिक 27, 1948
No. 6042] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2026/KARTIKA 27, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2026

का.आ. 6282(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का आधिग्रहण) अधिनियम 1962 (1962 का 50), (इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 2 की उपधारा (क) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम के अधीन नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित व्यक्ति को कॉलम (2) में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में कॉलम (3) में उल्लिखित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परिचालित पेट्रोलियम पाइपलाइनो के लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्यो को करने के लिए अधिकृत करती है।

व्यक्ति का नाम	क्षेत्राधिकार क्षेत्र	पेट्रोलियम पाइपलाइनो का नाम
(1)	(2)	(3)
श्री जी.एन.वी. राजू, उप- कलेक्टर , तेलंगाना सरकार	तेलंगाना राज्य	हासन चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन

इससे पुर्व भारत के राजपत्र में प्रकाशित का. आ. 578(अ), दिनांक 30.01.2025 के तहत तेलंगाना राज्य में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हासन चेरलापल्ली पाइपलाइन के लिए अधिसूचित सक्षम अधिकारियों को डी-नोटिफाइड समझा जाए।

यह अधिसूचना इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. आर-12031/2/2019-ओआर-I/ई-31417]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2026

S.O. 6282(E).—In pursuance of sub section (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said act), the Central Government hereby authorizes the person mentioned in column (1) of the table given below to perform the functions of the Competent Authority under the said Act for Hindustan Petroleum Corporation Limited in the respect of areas mentioned in column (2) for its operational petroleum pipeline laid under the said Act mentioned in the column (3) of the said table:

Name of person	Area of Jurisdiction	Name of Petroleum Pipelines
(1)	(2)	(3)
Sri. G.N.V. Raju, Deputy Collector, Government of Telangana	Telangana State	Hassan Cherlapalli LPG Pipeline

Earlier notified Competent Authority(s) in the Telangana State for HPCL's Hassan Cherlapalli LPG Pipeline vide S.O. No. 578(E) dated 30.01.2025 published in the Gazette of India stands de-notified.

The notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. R-12031/2/2019-OR-I/E-31417]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.11.19 13:28:03 +05'30'